न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 111/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सनिका मुन्डा – विक्रेता

सोसन्ति कन्डुलना – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16.08.18	**आदेश**	

आवेदक सनिका मुन्डा पिता स्व0 गुजा मुन्डा ग्राम सिम्बुकेल, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने श्रीमती सोसन्ति कन्डुलना पति श्री सोहराई मुन्डा ग्राम सिम्बुकेल, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्र य हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
सिम्बुकेल	76	16	48	0.08

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 016374 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 722 दिनांक 10.08.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जेठा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार गुजा मुण्डा वगैरह है। आवेदक के पास 4.25 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्र य में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है।-भूमि वि क्र य के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.17 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं वि क्रे ता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रे ता – वि क्रे ता को भूमि क्र य - वि क्र य करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सनिका मुन्डा पिता स्व0 गुजा मुन्डा को श्रीमती सोसन्ति कन्डुलना पति श्री सोहराई मुन्डा के साथ ग्राम सिम्बुकेल के खाता सं0 16 खेसरा संख्या 48 का कुल रकबा 0.08 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 8792.00(आठ हजार सात सौ बानबे) रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्र य की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

16/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/08/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।